खंड—१६ संख्या—७

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-२ कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित ।)

वृहस्पतिवार, तिथि २५ मार्च, १९७६ ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य :	
(क) मधुबनी जिलान्तर्गत जोंकी ग्राम के श्री भुवनेश्वर झा की डकैतों के हाथ हत्या ।	१—१२
(ख) नालन्दा जिलान्तर्गत लुथपलीचक निवासी श्री ठाको यादव एवं उनके पुत्र श्री रामविलास यादव की निर्मम हत्या ।	१२—१६
अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :	
श्री अब्दुल जलील, विधायक के साथ गोपालगंज के आरक्षी अधीक्षक श्री रामस्वरूप राम द्वारा दुर्व्यवहार ।	१६—१९
विधान कार्य : वित्तीय विधेयक :	
बिहार विनियोग विधेयक १९७६ स्वीकृत (१९७६ की वि० सं० १) ।	१९—६१
निवेदनों के सम्बाध में सूचना	६१
दैनिक निबन्ध	६३—६४

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

भुवनेश्वर झा को वीरतापूर्ण कार्य के लिए समुचित पारितोषिक के लिये अनुशंसा की जायगी।"

यह रिपोर्ट आरक्षी अधीक्षक द्वारा दिनांक २२-३-१९७६ को भेजी गयी है।

श्री हेमन्त कुमार झा—अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष—अब आप बैठ जायँ, माननीय सदस्य श्री शकूर अहमद पूरक पूछना चाहते हैं, उन्हें पूछने दें।

श्री हेमन्त कुमार झा—ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं बल्कि सरकार को सूचना दे रहे हैं।

श्री शकूर अहमद—मैं एक चीज सरकार से कहना चाहता हूँ कि मधुबनी और नेपाल के बौर्डर पर सरकार एक परमानेन्ट चौकी का प्रबन्ध करेगी या नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक आदेश दे देगी।

अध्यक्ष—शान्ति, माननीय मंत्री को, सरकार को, जो उत्तर दिया गया है सरकार की ओर से उससे संतोष हुआ है या नहीं, सदन को संतोष हुआ है या नहीं...

(सदन में चारो ओर से "सन्तोष नहीं हुआ है" की आवाज गूँजने लगी।)

अध्यक्ष—लेकिन अध्यक्ष को, स्पोक्समैन के नाते, सर्वेन्ट औफ दि हाउस के नाते कतई सन्तोष नहीं है। इसलिए मैं इस विषय को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में भेजता हूँ।

(ख) नालन्दा जिलानान्तर्गत लूतफलीचक निवासी श्री ठाको यादव एवं उनके पुत्र श्री रामविलास यादव की निर्मम हत्या।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (मन्त्री)—यह बात सही है कि दिनांक ९-२-१९७६ को सर्वश्री ठाको गोप एवं राम विलासगोप की हत्या देवेन्द्र सिंह तथा अन्य द्वारा ग्राम लुतफलीचक थाना नालन्दा में गोली द्वारा की गयी है। यह बात भी सही है कि मृतकों की लाशों को कई टुकड़े कर कई जगहों पर कुछ कुएँ में, कुछ गड्ढे में तथा कुछ कपड़े में बांध कर राहर के खेतों में तथा कुछ नहरों के पुल के नीचे

गठरी में बंधा हुआ तथा कुछ गमछा में लपेटा हुआ पोखरे के करीब गाड़ा हुआ बरामद किया गया। सबों के टुकड़े एवं सिर बरामद किये जा चुके हैं।

इस सम्बन्ध में बिहार (नालन्दा) थाना अभियोग संख्या—१७ दिनांक ९-२-१९७६ की धारा १४७/१४८/१४९/३०२/२०१ भा० द० वि० एवं २७ अधिनियम शस्त्र के अन्तर्गत १७ अभियुक्तों का नाम आया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

१—देवेन्द्र सिंह वल्द रामखेलावन सिंह, (२) कमला सिंह, (३) सुरेश सिंह, (४) राजेन्द्र सिंह, (५) रामलगन सिंह, (६) राम स्वारथ सिंह (७) दिनेश सिंह, (८) भुवनेश्वर सिंह उर्फ टना सिंह, (९) अर्जुन सिंह, (१०) रामदास सिंह, (११) विन्दा सिंह, (१२) सातो सिंह (१३) देवेन्द्र सिंह वल्द जय नारायण सिंह, (१४) तनिक सिंह, (१५) खेलावन सिंह. (१६) मुन्नी सिंह उर्फ मुनेश्वर सिंह और (१७) जयराम सिंह, सभी ग्राम बेगमपुर, थाना नालन्दा के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त अप्राथमिकी अभियुक्त (१) बच्चू सिंह, (२) अमर सिंह; (३) अक्षय सिंह और (४) महेन्द्र सिंह हैं।

निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये अथवा उन्होंने न्यायालय में आत्म-समर्पण किये हैं :—

(१) दिनेश सिंह, (२) अमीर सिंह, (३) विन्दा सिंह, (४) राम लगन सिंह, (५) राजेन्द्र सिंह, (६) रामदेव सिंह, (७) कमला सिंह, (८) तनिक सिंह, (९) मुनेश्वर सिंह उर्फ टना सिंह, (१०) सातो सिंह, (११) देवेन्द्र सिंह, (१२) अर्जुन सिंह, (१३) रामखेलावन सिंह, (१४) जयराम सिंह एवं (१५) अमीर नारायण सिंह।

इस कांड में हरखू यादव, रामनरेश प्रसाद, अलख देव प्रसाद, शिव बालक यादव, रामबुला यादव को चोट आयी है। इस कांड से सम्बन्धित ट्रैक्टर को जप्त कर लिया गया है तथा उसके मालिक श्री जयराम सिंह गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

अंचलाधिकारी, नूरसराय से यह पता चला है कि इस जमीन पर बन्दोबस्ती के लिए ३ भुतपूर्व सैनिकों ने दरखास्त दी थी, परन्तु इस दरखास्त के ऊपर से

इस अभियोग के मुख्य अभियुक्त देवेन्द्र सिंह के पिता राम खेलावन सिंह एवं चाचा रामलगन सिंह ने यह दरखास्त दी थी कि चकबन्दी में यह जमीन इनके नाम पर है। जैसा कि जांच-पड़ताल के क्रम में पता चला, लुतफलीचक के लोगों ने, और लोगों के कहने पर इस जमीन पर मकान बनाना शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता है कि देवेन्द्र सिंह ने यह अपराध इस गलत आशंका पर किया है कि एकबार इस जमीन पर कब्जा हो जायेगा तो बेदखल करना कठिन होगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह आरोप है कि स्थानीय पुलिस के अधिकारियों का, इसमें कोई षड-यंत्र है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जायेगी। आरक्षी उप महानिरीक्षक ,पटना इसकी जाँच करेंगे।

* श्री चन्द्रदेव प्र० हिमांशु—क्या सरकार को पता है कि ग्राम लुतफलीचक के भूमिहीन लोग सरकारी परती जमीन पर बासगीत मकान बना रहे थे, जो मुखिया श्री देवेन्द्र सिंह को पसन्द नहीं था ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—तब ही तो ऐसी घटना घटी।

श्री चन्द्रदेव प्रसद हिमांशु—जिस दिन यह घटना घटी है उसके एक दिन पहले तनिक सिंह को झूठे मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। एक महीना पहले एक मोटर की चोरी हुई थी। श्री देवेन्द्र सिंह, मुखिया, आरक्षी निरीक्षक और थाना प्रभारी मिलकर सुनियोजित ढंग से एक केस बनाकर तनिक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अध्यक्ष—आप समय की ओर भी ध्यान दीजिये, एक महीना पहले क्या हुआ, इन बातों को छोड़कर आप सीधे अपना प्रश्न पूछिये।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद हिमांशु—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों ने इतने सुनियोजित ढंग से हत्या की है तो उन तीनों व्यक्तियों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जायगी या नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह मैंने इस संबंध में स्पष्ट पिक्चर रखने की कोशिस की है। पुलिस अधिकारियों का हाथ है या नहीं इसके लिए हमने सेन्ट्रल डी० आई० जी० को यह मामला देखने को दिया है। हमने घटना को छिपाया नहीं है।

अध्यक्ष :—जब इतनी नृशंस हत्या हुई तो कितने दिनों के बाद, कितनी अवधि के बाद आपके उच्चाधिकारी—एस० पी०, डी० आई० जी० और कमिश्नर वहाँ गये ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—डी० आई० जी० तो आज भी वहीं हैं।

अध्यक्ष :—आज भी हैं, यह दूसरी बात है। घटना ९-२-१९७६ को हुई थी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—९-२-१९७६ को एस० डी० ओ० और एस० पी० गये थे।

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वयं माना है कि इस ढंग की वहां हत्या हुई है तो क्या यह सरकार से अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि जब जांच हो रही है तो वहाँ से संबंधित पदाधिकारियों को हटा दिया जाय क्योंकि जब वे लोग वहाँ रहेंगे तो एभिडेन्स को खराब कर देंगे ? इसमें क्या सरकार को कोई एतराज है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—मैं तुरन्त हटा दूंगा।

श्री चतुरानन मिश्र—जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है उन लोगों की कुर्की-जप्ती की गयी है या नहीं ?

श्री रामाश्रय सिंह—सरकार इसमें सचेष्ट है, प्रक्रिया की गयी है।

श्री चतुरानन मिश्र—जब सरकार सचेष्ट है तो आज तक कुर्की-जप्ती क्यों नहीं की गयी ?

अध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री चतुरानन मिश्र का कहना यह है कि क्रिया पर विश्वास होना चाहिए, प्रक्रिया पर नहीं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, २२ में १५ आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री चतुरानन मिश्र—जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी कुर्की-जप्ती करने में क्यों टाइम लग रहा है ?

२६ नालंदा जिलान्तर्गत लुधफलीचक निवासी श्री ठाको यादव (२५ मार्च, एवं उनके पुत्र श्री रामविलास यादव की निर्मम हत्या

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे, अभी-अभी सूचना मिली है कि कुर्की जप्ती हो चुकी है।

श्री चतुरानन मिश्र—सब लोगों की कुर्की जप्ती हो चुकी है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—जी हाँ।

श्री चन्द्रदेव प्र० हिमांशु—मुखिया ने ही गोली मारी है और वही गिरफ्तार नहीं हुआ है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—वह गिरफ्तार हो चुका है।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

श्री अब्दुल जलील विधायक के साथ गोपालगंज के आरक्षी अधीक्षक श्री राम स्वरुप राम द्वारा दुर्व्यवहार।

श्री अम्बिका प्रसाद—दिनांक १०-२-१९७६ को करीब २॥ बजे दिन में श्री अब्दुल जलील विधायक श्री शिवनाथ पाठक, ग्राम सहतवार, अंचल गोरया कोठी, जिला सिवान के साथ श्री राम स्वरुप राम; आरक्षी अधीक्षक, गोपालगंज के निवास स्थान पर अपने चुनाव क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की समस्या पर बात-चीत करने गये थे। चूँकि अधीक्षक; श्री राम साहब अपने घर के अन्दर थे, इसलिए श्री जलील उनके बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गये। आरक्षी अधीक्षक ने ज्यों ही कमरे से बाहर निकल कर श्री जलील को कुर्सी पर बैठे देखा तो वे आग-बबूला हो गये और कहना शुरु किये, "बदतमीज, बेहूदा, जंगली; तुम कुर्सी पर से उठो और यहाँ से चले जाओ। श्री जलील ने इस व्यवहार का प्रतिरोध किया तब इस पर श्री राम ने कहा, तुम्हें दुरुस्त कर दूँगा और लाश लदवा कर यहाँ से भेज दूँगा।"

श्री जलील ने कहा कि आप इतने असंतुलित क्यों हो रहे हैं, आपको असंतुलित नहीं होना चाहिये, इस पर भी श्री राम नहीं रुके और बोलते गये कि "तुम हमारे दारोगा से भी बड़े हो कि वह हमारे सामने खड़ा है और तुम लाट साहब होकर हमारे सामने कुर्सी पर बैठे हो ? जल्दी से उठ जाओ नहीं तो तुम्हें दुरुस्त कर